

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-414 / 14
संस्थापित दिनांक-21.07.2014
filling number 235103004752014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- शिशुपाल सिंह पुत्र निरन सिंह उम्र 25 साल 2- निरन सिंह पुत्र चिल्ले उम्र 53 साल 3- श्रीमती सुद्धीबाई पत्नी निरन सिंह आयु 48 साल निवासीगण- ग्राम बडेरा चंदेरी जिला अशोकनगरआरोपीगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 13.04.2017 को घोषित)

01- आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 498(ए) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 26.04.2012 के करीब 2 वर्ष पूर्व से फरियादी कमलेश के पति या पति के नातेदार होते हुए प्रार्थी से 1,00,000/- रुपये एवं कुछ सामान दहेज के रूप में मांगकर फरियादिया को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी कमलेश कुमारी की शादी आरोपी शिशुपाल से हुई थी। यह भी स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त निरन सिंह कमलेश कुमारी के ससुर है एवं श्रीमती सिद्धीबाई सास है। प्रकरण में यह उल्लेखनिय है कि फरियादी एवं आरोपीगण द्वारा राजीनामा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध असमनिय होने से राजीनामा आवेदन निरस्त किया गया है।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी कमलेश कुमारी ने अपने पिता कल्याण के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह ग्राम बारी की रहने वाली है। उसकी शादी 26.04.2007 को शिशुपाल विश्वकर्मा बडेरा चक के साथ घर से हुई थी। वह शादी के बाद से ससुराल आती जाती रही। इस दौरान उसके पति शिशुपाल, सास सुद्धीबाई, ससुर निरन सिंह आए दिन उसे तांने देते रहे कि वह अपने मायके से कुछ नहीं लाई है। कमलेश कुमारी ने कहा की उसके पिता कल्याण सिंह गरीब है जितनी सामर्थ थी उतना दहेज दिया है, इसके बाबजूद भी

उसके पति, ससुर उसे मायके से एक लाख रुपये नगद लाने एवं कुछ सामान लाने के लिये प्रताड़ित करने लगे तथा उसे परेशान करने लगे घर से निकालने लगे, तब उसने पिता कल्याण सिंह को फोन किया, फिर उसके पिता उसकी ससुराल चक बडेरा आये उन्होंने भी उसके पति शिशुपाल, ससुर निरनसिंह को समझाया परन्तु वे लोग नहीं माने, उसे बार-बार दहेज मांगने के ताने देकर परेशान करते रहते रहे। फिर वह अपने पिता के साथ ग्राम बारी आ गई। इस दौरान उसके रिश्तेदारों ने भी कमलेश कुमारी के ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की लेकिन वे लोग नहीं माने और अब उसे मायके से वापस लेने नहीं आ रहे हैं। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा झूठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 26.04.2012 के करीब 2 वर्ष पूर्व से फरियादी कमलेश के पति या पति के नातेदार होते हुए प्रार्थी से 1,00,000/- रुपये एवं कुछ सामान दहेज के रूप में मांगकर फरियादिया को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— कमलेश कुमारी अ0सा01 ने अपने न्यायालयीन कथनों में बताया कि उसकी शादी शिशुपाल सिंह निवासी बडेरा चक के साथ दिनांक 26.04.2012 में हुई थी और शादी के 4-5 महीने बाद अभियुक्त शिशुपाल, ससुर निरन व सास सिद्धीबाई उससे दहेज की मांग करने लगी और कहने लगी कि तुम्हारे मां, बाप ने शादी में एक लाख रुपया नहीं दिया। अभियुक्त शिशुपाल उसके साथ मारपीट करता था व धौंस देता था, इस कारण से वह उसके न्यायालयीन कथनों के ठेड साल पूर्व से उसके माता पिता के घर ग्राम बारीटोडा में निवास कर रही है। कमलेश कुमारी द्वारा अभियुक्त शिशुपाल व उसके सास ससुर के विरुद्ध थाना चंदेरी में प्र.पी. 1 की रिपोर्ट लेख कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

07— मीना विश्वकर्मा अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानती है। फरियादी कमलेश कुमारी उसकी बच्ची है

जिसकी शादी शिशुपाल से हुई थी। मीना विश्वकर्मा अ0सा02 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि अभियुक्तगण उसकी लडकी को अच्छे से नहीं रखते थे, गालियां देते थे और खाने को नहीं देते थे और यह कहते थे कि मायके से एक लाख रुपये लेकर आ तब अच्छे से रखेंगे तथा मेरी लडकी के ससुराल वालो ने मायके से एक भैंस लाने को भी कहा था। उक्त साक्षी ने आगे व्यक्त किया कि उसकी लडकी से उसके ससुराल वालो ने यह कहा था कि तु अपना सामान लेकर अपने मायके चली जा, हमे तुझे नहीं रखना है। उक्त बात मेरी लडकी ने ससुराल से फोन करके उसके मामा को बताई थी और मामा ने उक्त बात हमे बताई थी।

08— कल्याण विश्वकर्मा अ0सा03 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह समस्त आरोपीगण को जानता है। फरियादी कमलेश कुमारी उसकी बेटी है जिसका विवाह अभियुक्त शिशुपाल से वर्ष 2012 में हुआ था। अभियुक्तगण मेरी लडकी को ताने देते थे और कहते थे कि ससुराल में रहना है तो एक लाख रुपया लेकर आओ। अभियुक्तगण द्वारा मेरी बेटी को दो दिन तक खाना नहीं दिया गया था, उक्त बात मेरी बेटी ने फोन पर मुझे बताई थी। कल्याण विश्वकर्मा अ0सा03 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि रिपोर्ट करने के पूर्व वह पंचो को लेकर बडेरा चक गया था जहां पर प्र.पी 2 का पंचनामा लिखा गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है और जप्ती पंचनामा प्र.पी. 3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

09— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी फूलचन्द्र अ0सा04, निरपत अ0सा05, अमर सिंह अ0सा06, भगवादन दास अ0सा07, ने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है, इसलिये उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

10— कमलेश कुमारी अ0सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण के पैरा 1 में व्यक्त किया कि शादी के 4-5 माह बाद अभियुक्त शिशुपाल "पति", ससुर निरन व सास सिद्धीबाई उससे दहेज की मांग करने लगे व कहने लगे कि तुम्हारे मां बाप ने शादी में एक लाख रुपया नहीं दिया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में व्यक्त किया कि उसकी सास ने उससे एक लाख रुपये की मांग की थी, उक्त मांग किस तारीख को की थी वह नहीं बता सकती। बचाव पक्ष ने इस सुझाव को फरियादी कमलेश कुमारी अ0सा01 ने स्वीकार किया कि जब सास ने पैसे मांगे थे जब शिशुपाल नौकरी करने इन्दौर में था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में व्यक्त किया कि उसके ससुर उसके पास बैठते थे किन्तु कभी पैसे नहीं मांगे। कमलेश कुमारी अ0सा01 ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि दहेज मांगने वाली बात उसने पिता को मायके में आकर बताई थी तथा फोन से दहेज मांगने वाली बात मायके वालो को नहीं बताना व्यक्त किया।

11— कमलेश कुमारी अ0सा01 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि यह बात सही है कि ससुराल वालो ने उससे आज तक दहेज के पैसे नहीं मांगे, उसने अपने बयानों में पति एवं ससुर के द्वारा दहेज मांगने वाली बात नहीं लिखाई केवल सास द्वारा एक लाख रूपया मांगने वाली बात लिखाई थी, जब सास दहेज की मांग कर रही थी तब ससुर बैठे बैठे सुन रहे थे इसलिये उनका नाम रिपोर्ट में लिखा दिया था। इस प्रकार स्वयं फरियादिया कमलेश कुमारी अपने मुख्य परीक्षण में तीनों अभियुक्तगण द्वारा एक लाख रूपय की मांग और कुछ सामान मांगने की बात बताती है, वही दुसरी ओर प्रतिपरीक्षण में केवल सास द्वारा एक लाख रूपये की मांग दहेज के रूप में करने की बात बताती है तथा प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 की 10वीं पंति में इस बात को स्वीकार करती है कि ससुराल वालो ने उससे आज तक दहेज के पैसे नहीं मांगे हैं।

12— इस प्रकार स्वयं फरियादी के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास है जोकि तात्विक प्रकृति का है तथा साक्षी मीना विश्वकर्मा अ0सा02 जोकि फरियादिया कमलेश कुमारी की मां है यह बताया कि उसकी लडकी ने उसके ससुराल में झगडा होने वाली बात उसे फोन पर बताई थी और कमलेश कुमारी को ससुराल वालो द्वारा खाना नहीं देने वाली बात भी बताई थी। कमलेश कुमारी को अभियुक्तगण द्वारा खाना न देने वाली बात का समर्थन कल्याण विश्वकर्मा अ0सा03 ने भी किया है तथा उक्त बात कल्याण विश्वकर्मा को उसकी लडकी कमलेश ने फोन लगाकर बताई थी तथा अभियुक्तगण द्वारा एक लाख रूपये मांगने वाली बात भी फोन पर बताई थी, जबकि प्रकरण की फरियादिया कमलेश कुमारी द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसने उसके मायके वालो को फोन से दहेज मांगने वाली बात नहीं बताई थी। इस प्रकार प्रकरण की फरियादिया कमलेश कुमारी अ0सा01, मीना विश्वकर्मा अ0सा02, कल्याण अ0सा03 के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास है जिससे उक्त साक्षीगण के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं। मीना विश्वकर्मा अ0सा02 एवं कल्याण विश्वकर्मा अ0सा03 जोकि फरियादी के माता एवं पिता हैं जिनके समक्ष कोई घटना न होना एवं उक्त सभी बाते उनकी बेटी कमलेश कुमारी द्वारा बताया जाना व्यक्त किया है। उक्त साक्षीगण की साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य की परिधि में आकर विश्वसनीय नहीं है एवं अभियोजन को कोई लाभ प्रदान नहीं करती है।

12— उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर जबकि साक्षी कमलेश कुमारी अ0सा01, मीना विश्वकर्मा अ0सा02, कल्याण विश्वकर्मा अ0सा03 के कथनों में दहेज की मांग किये जाने के संबंध में तात्विक विरोधाभास है एवं अभियोजन के अन्य साक्षी फूलचन्द्र अ0सा04, निरपत अ0सा05, अमरसिंह अ0सा06, एवं भगवान दास अ0सा07 ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है। प्रकरण की परिस्थितियों से दर्शित है कि वर्तमान

प्रकरण फरियादी कमलेश कुमारी एवं उसके पति व पति के नातेदारों के मध्य विवाद से संबंधित है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर उक्त प्रकृति के प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है तथा पक्षकारों में आपस में समझौता भी हो गया है। उपरोक्त सम्पूर्ण परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्तगण दिनांक 26.04.2012 के करीब 2 वर्ष पूर्व से फरियादी कमलेश के पति या पति के नातेदार होते हुए प्रार्थी से 1,00,000/- रुपये एवं कुछ सामान दहेज के रूप में मांगकर फरियादिया को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। अतः अभियुक्तगण शिशुपाल, निरन सिंह, सिद्धबाई को धारा 498(ए) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

14— प्रकरण जप्तशुदा शादी का कार्ड एवं पंचनामा आवश्यक दस्तावेज होने से अभिलेख का भाग होगा।

15— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0